UPJS100016192022

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम० , गरौठा , जनपद- झाँसी ।

परिवाद संख्या- 1336 / 2022

श्रीमती मोनिका बनाम गौरव मिश्रा आदि ।

धारा- 498 ए , 323, 504 भा०द०सं०

व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम ।

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी ।

दिनांक- 27. 07. 2026

पत्रावली पेश हुयी । परिवादिनी अनुपस्थित । परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं । परिवादिनी द्वारा कोई हाजिरी माफी प्रस्तुत नहीं की गयी है । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण को दिनांक- 06. 07. 2024 को न्यायालय द्वारा तलब किया गया था । अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में उपस्थित नहीं आये हैं । अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिकायें जारी की गईं थीं । जिसकी नियमानुसार पैरवी परिवादिनी द्वारा नहीं की जा रही है । जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा परिवादिनी को कई अवसर भी प्रदान किये जा चुके हैं । विदित होता है कि परिवादिनी को यह परिवाद चलाने में कोई विशेष रूचि नहीं रह गयी है ।

धारा - 204(4) दं०प्र०सं० यह प्राविधानित करती है कि " जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका, फीस या अन्य फीस संदेय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के अन्दर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है ।" अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह परिवाद पैरवी के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है ।

आदेश

परिवाद संख्या- 1336 / 2022 , श्रीमती मोनिका बनाम गौरव मिश्रा आदि खारिज किया जाता है ।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा , जनपद- झाँसी ।

J. O. Code- UP2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.07.27 16:49:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court